online
2025/440

25-9-25

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का जोरावर नगर

किस्म मुकदमा –प्रा0पत्र प्रचलित रास्ता अ.धा.131 132 एल.आर.एक्ट मुकदमा नम्बर– 129/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	[illegible]
25.09.2025	राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में दिनांक 24 जून 2025 से 09 जुलाई 2025 तक "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा" का आयोजन किया गया था। जिसके अन्तर्गत राजस्व विभाग से संबधित संपादित किये जाने वाले कुल 10 गतिविधियों/कार्यो में से कमांक 6 पर "रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण" का कार्य श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप–5) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र पत्रांक प0 04(3) राज–5/सम/2024 जयपुर दिनांक 18.06.2025 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में विभिन्न ग्राम पंचायतों में खातेदारी कृषि भूमियां में कदीमी रूप से चले आ रहे प्रचलित रास्ते (जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रहे है) को राजरव रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता के रूप में दर्ज कराने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा सम्बन्धित ग्राम पचांयतों से प्रस्ताव लिये जाकर शिविर के दौरान मौके पर प्रचलित रास्तों के प्रस्ताव तैयार करवाये गये थे। जिनको तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र कमांक 2148/भू.अ./2025 दिनांक 16.07.2025 एंव पुनः पत्रांक 2592/भू.अ./2025 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम नालोट पटवार हल्का जोरावर नगर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 153 रकबा 1.05 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में से 0.0500 हैक्टर भूमि मे से जा रहे प्रचलित रास्ता जो खसरा नम्बर 153 में से होकर खसरा नम्बर 154 के मध्य तक जाता है तथा मौके पर कच्चा रास्ता है एंव आवागमन हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है। उक्त रास्ते हेतु स[illegible]खातेदार सहमत होने एंव प्रस्तावित रास्ता व्यक्तिगत [illegible] ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है। उक्त प्रस्तावित रास्ता हेतु सम्बन्धित ग्राम पचांयत जोरावर नगर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ता व्यक्तिगत होने एंव मूल प्रस्ताव में सम्बन्धित ग्राम पंचायत जोरावरनगर का प्रस्ताव संलग्न नहीं होने से प्रचलित रास्ते के प्रस्ताव को खारिज किये जाने का निवेदन अपनी रिपोर्ट	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.29 13:01:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र तहसीलदार श्रीमाधोपुर पटवारी हल्का / मु.न. 129/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	में किया है। हमने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व इसके संलग्न दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, फर्द मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रस्तावित प्रचलित रास्ता सार्वजनिक हित में नहीं होकर व्यक्तिगत हित में होना तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत जोरावर नगर का प्रस्ताव संलग्न नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।
	अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 के तहत भिजवाये गये प्रचलित रास्ता का प्रस्ताव सार्वजनिक उपयोग में नहीं आने तथा व्यक्तिगत हित में होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर बाद फैसल में शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफतर हो।
	(अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
	यह निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	(अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.29 13:01:48 IST
Reason: SelfAttested